न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनीया आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00264 (82/2012) 75 एलआरएक्ट

1. तिलौकाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट साकिन चक ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. चन्दोदेवी पत्नी तिलोकाराम जाट साकिन चक ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. रूपराम पुत्र मोटाराम जाट साकिन चक ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. विद्यादेवी पत्नी रूपराम जाट साकिन चक ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये (राजस्व) पीलीबंगा —रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 07.04.2007 द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा अनवान तिलौकाराम बनाम सरकार आदि प्र0 सं0 127/1996

श्री मनीष शर्मा, श्री रामकुमार गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः— 25.02.21

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस [illegible] ल में अपीलण्ट ने अपने बुजुर्गान मोटाराम व कुम्भारा[illegible] ड़ोपल में खसरा नं. 1179, 1180, 1192, 1193, [illegible] 18 बिस[illegible] होना बताया गया है, जो घग्घर फलड डाईवर्सन [illegible]ल (सेम नाला) क्षेत्र [illegible] गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जिसके बदले में अन्यत्र भूमि दिये जाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। तबादला की कार्यवाही चली होना भी बताया। खसरा नं. 1192–1193 अपलाण्टान के बुजुर्गान का पुराना जद्दी होने कारण अपीलाण्ट को काश्त करने का हक था। उपरोक्त भूमि के बदले तबादला में जा रकबा दिया गया वह 88 बीघा था। जिसमें से 44 बीघा अपीलाण्ट के पिता मोटाराम का व 44 बीघा उसके भाई कुम्भाराम का था। शेष रकबे की कार्यवाही लम्बित रही, जिसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपीलाण्टान के पिता मोटाराम का देहान्त हो चुका है। अपीलाण्टान रूपराम, तिलोकाराम ने उपरोक्त भूमि को बालिग पुत्रों में अथवा भूमिहीन अथवा कमीपूर्ति में आवंटन करवाने हेतु आवेदन पेश किया, जिसमें भी कार्यवाही नही हुई अपीलाण्ट ने पुनः 22.09.2006 को प्रार्थना–पत्र पेश किया। उपरोक्त खसरों पर अपीलाण्ट की नाजायज काश्त मानते हुए तहसीलदार पीलीबंगा ने अपीलाण्ट्स को नोटिस दिया जिसक विरूद्ध स्थगन प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया कि तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा के विरूद्ध तावान की कार्यवाही न करने की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे। विचारण न्यायालय ने दिनांक 04.07.2007 को प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के बुजुर्ग का 92 बीघा रक्बा बड़ोपल बारानी में था जिसकी तबादला की पत्रावली मुरत्तिब करते हुए 88 बीघा भूमि तबादला में दी गई शेष भूमि की निस्बत पत्रावली आज भी लम्बित है और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अपीलाण्टान भूमिहीन की श्र... सदस्य 25 बीघा की हद तक भूमि आवंटित करवाने ... अधीनस्थ न्यायायल ने दिनांक 28.10.2003 को स्वीक... मुआवजा नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कानूनी दायित्व था कि वह मूल तबादला

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पत्रावली को इस आवंटन पत्रावली क साथ शामिल कर विधि अनुसार अपना निर्णय पारित करता। उसने कानूनी दायित्वों का निर्वहन नही किया है। नोटिफिकेशन दिनांक 11.01.2008 में स्पष्ट है कि दिनांक 01.01.2000 से सात वर्ष पूर्व यानि 1.1.1993 से नाजायज कब्जा काश्त भी हो परन्तु गत सात वर्षों से पांच वर्ष भी उसका कब्जा हो तो ऐसे काश्तकार की आवंटन पत्रावली निरस्त नही की जावेगी। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। देरी क्षमा की जावे। अपीलाण्ट की मूल तबादला पत्रावली को पत्रावली में शामिल कराया जावे। नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे आवंटन की कार्यवाही संभव नहीं हो तो अपीलाट को खसरा नं. 1192–1193 से बेदखल ने किया जावे एवं अपीलाटान के विरूद्ध कोई तावान की कार्यवाही नहीं की जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट ने ऐसा कोई सबूत पेश नही किया है जिससे सबित हो सके की रकबा अवाप्त किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा काश्त रकबा जीएफसी के लिए अवाप्तशुदा है। रकबा जीएफसी के लिए अवाप्त होने का सबूत पेश नहीं करने एवं आईजीएनपी क्षेत्र में भूमिहीन को भूमि आवंटन पर रोक होने के कारण अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन नहीं होने तथा पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:29 IST
Reason: SelfAttested

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाण्ट के कब्जे में प्रश्नगत रकबा जीफएसी में अवाप्त होने तथा उसके बदले में और भूमि आवंटन करने हेतु एवं तब तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

स्थगन आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि रकबा को अवाप्त किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा कास्त किया गया रकबा जीएफसी के लिए अवाप्त शुदा है। रकबा जीएफसी का होने, अवाप्त होने के किसी प्रकार दस्तावेज सबूत नहीं पेश करने एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में भूमिहीन को भूमि आवंटन पर रोक होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। अपील स्तर पर भी अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2007 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/2/21

(करतार सिंह पूनीया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:29 IST
Reason: SelfAttested